ग्राम पंचायत मनीकर्ण विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग—एक

1 **प्रस्तावना (क):—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मनीकर्ण, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

(i) प्रधानः—

Sr.No.	Name	Period
1	Sh.Thakur Chand	1-4-13 to 22-1-16
2	Sh.Deva Nand	23-1-16 to till date

(ii) सचिवः—

1	Sh.Sunahar Singh	12.3.13 to 19.6.13
2	Sh. Tek Chand	20.6.13 to 26.9.14
3	Sh. Hari Krishan	27.9.14 to till date

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत मनीकर्ण 1 `लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
1	6	हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करने के कारण अस्थाई दुर्विनियोजन/गबन	0.43
2	7	रोकड़ बही में कम राशि जमा करने के कारण सम्भावित गबन	0.08
3	9	पंचायत राजस्व की वसूली षेश	1.51
4	10	अनुदान का उपयोग न करना	20.59
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	25.51
6	13	क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	3.95

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मनीकर्ण, विकास खण्ड कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.7.16 (3:10 PM) से 3.8.16 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 5/13, 5/14 व 9/15 का चयन किया गया तथा व्यय की जाँच हेतु माह 9/13, 9/14 व 9/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मनीकर्ण, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000/– के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2016–128 दिनांक 3.8.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मनीकर्ण से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मनीकर्ण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) मुख्य रोकड़ बहीः– ग्राम पंचायत मनीकर्ण के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–I** निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–I (क) से I (घ),** में दिया गया हैः–

(1) मुख्य रोकड़ बही (स्व स्त्रोत व अनुदान)ः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	1064550.10	964065	33180	2063522.20	2063522.20	–1727.10
2014–15	–1727.10	6468918	47714	6514904.90	6952886	–437981.10
2015–16	–437981.10	18897969	35058	18455045.90	16509257.98	1985787.92
					Bank	**₹2477130**

(2) मनरेगाः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	545641	2603195	8127	3156963	2970294.60	186668.40
2014–15	186668.40	361321	1803	549792.40	1744421	(–)1194628.40
2015–16	(–)1194628.60	–	–	(–)1194628.60	2652063.18	(–) 3846691.78
					Bank	**₹Nil**

(3) **IWMP-I** :– परिशिष्ट–**I** (ङ)

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	–	150000	–	150000	–	150000
2014–15	150000	1500	2432	153932	107867	46065
2015–16	46065	–	898	46963	1500	45463
					Bank	**₹45463**

(4) **IWMP-I**:–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	–	148000	–	148000	–	148000
2014–15	148000	152642	1789	302431	300542	1889
2015–16	1889	–	–	1889	–	1889
					Bank	**₹1889**

4.2 रोकड़ बही में अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करने बारेः–

ग्राम पंचायत मनीकर्ण की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। रोकड़ बही में प्रत्येक दिन/माह का अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है व न ही वर्ष के आरम्भ में अथशेष व अन्तिम शेष दर्शाया गया है। अतः वित्तीय स्थिति की गणना/निर्धारण करने के लिए बैंक पास बुकों में 31.3.13 के शेष को 1.4.13 का अथशेष लिया गया है।

4.3 मनरेगा की रोकड़ बही को पूर्ण न करने बारेः–

ग्राम पंचायत मनीकर्ण की मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ बही को 31.3.16 तक पूर्ण नहीं किया गया है। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियां व व्यय भुगतान विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय द्वारा Online होने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का व्यय भुगतान किया गया तथा कितनी

राशि भुगतान हेतु शेष है का पूरा विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त कुल राशि व व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत मनीकर्ण की मुख्य रोकड़ बही (स्वः स्त्रोत व अनुदान) की बैंक समाधान विवरणी संलग्न **परिशिष्ट "2"** पर दी गई है।

4.5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत मनीकर्ण की रोकड़ बही का अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के 31.3.16 के अन्तिम शेष के अन्तर ₹118590.08 **(परिशिष्ट–2)** का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.6 अनुदान से प्राप्त ₹4.15 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः—

ग्राम पंचायत मनीकर्ण की रोकड़ बही व बैंक पास बुकों के मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदान की ₹415287/– को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। **(परिशिष्ट–2)** अतः प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य के लिए प्राप्त हुआ था का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखनाः—

पंचायत की मुख्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "3"** में दिए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त बाजार, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2006 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करवाने के कारण ₹0.43 लाख का अस्थाई दुर्विनियोजन/गबन

रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि 16.6.13 को सचिव के पास हस्तगत ₹42535/– को दिनांक 31.3.16 तक बैंक में जमा नहीं करवाया गया है। अतः 16.6.13 की हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए, उक्त राशि को दण्ड ब्याज सहित बैंक में जमा करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही में कम राशि जमा करने के कारण ₹0.08 लाख का सम्भावित गबनः–

पंचायत की रोकड़ बही व गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि गृहकर के रूप में प्राप्त आय में से ₹8050/– रोकड़ बही में कम दर्ज किए गए है जिस का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	माह	रसीद संख्या	प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि	कम जमा राशि
1	5/13	10201 से 10210	2500	2000	500
2	5/13	10212 से 10219	2000	1600	400
3	5/13	10226 से 10300	18750	15000	3750
4	5/13	10133 से 10200	17000	13600	3400
				कुल	**₹8050**

अतः रोकड़ बही में कम दर्ज ₹8050/–की जाँच करके, उक्त राशि की वसूली करके रोकड़ बही में दर्ज करके, बैंक में जमा करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन फार्म–11 के स्थान पर कार्रवाई रजिस्टर में सामान्य तौर पर तैयार किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन फार्म–11 में तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को फार्म–11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹1.51 लाख की वसूली शेष रहनाः–

ग्राम पंचायत मनीकर्ण के सचिव द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेखों के अनुसार पंचायत राजस्व की ₹151400/–की वसूली दिनांक 31.3.16 तक शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "4"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

(1) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	90000	22500	112500	76200	36300
2014–15	36300	22500	58800	100	58700
2015–16	58700	22500	81200	5400	75800

(2) मोबाईल टावर शुल्कः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	18700	17500	36200	22200	14000
2014–15	14000	17500	31500	5200	26300
2015–16	26300	17500	43800	16200	27600

(3) दुकान किराया

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	–	90400	90400	27000	63400
2014–15	63400	192000	255400	171400	84000
2015–16	84000	192000	276000	228000	48000

अतः उपरोक्त पंचायत राजस्व की वसूली न करने के कारण स्पष्ट करते हुए राजस्व की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को पूर्ण न करना

ग्राम पंचायत मनीकर्ण के अंकेक्षण अवधि के गृहकर माँग व प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर की प्रति परिवार की माँग व अन्तिम शेष की राशि 31.3.16 तक दर्ज करके पूर्ण नहीं किया गया है। अतः गृहकर माँग व प्राप्ति रजिस्टर को 31.3.16 तक शेष वसूली राशि की प्रति परिवार के अनुसार गणना करके पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹20.59 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–"5")** के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹2059218/– उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्य हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृत पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि

को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹25.57 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात क्रय निविदाएँ आमन्त्रित करके तथा क्रय सामान की स्टॉक प्रविष्टि इत्यादि प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–"6"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2550544/–के स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Bill Register-Form 13
2	T.A. Check Register-Form 20
3	Cheques issue Register
4	Stock Register of consumable articles-Form 26
5	Work Register
6	shop rent/Tower fee demand and collection Register
7	Electricity bill payment Register

13 ₹3.95 लाख की क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय/प्राप्त किये गए प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत मनीकर्ण के बिल वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹394795/—की क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं थी जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी। अतः निम्न सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Grant	Cash Book Page No.	Bill No.	Firm	Item	Amt.
1	Own Fund	18/9/13	93/9.913	M/s Anvi Enterprisaes Manikaran	Stationery	350
2	do	19/9/13	9117/3.2.13	M/s Parvati Priting Press Bhunter	Letter Pad	1134
3	Manerga	21/9/13	142791/nil	M/s H.P. State civil Suppli corporation	Cement	49956
4	do	25/9/13	1912466/17.10.13	-do-	Cement	35785
5	LAda	68/9/14	24545/4.9.14	-do-	Cement	60250
6	Lada	67/9/14	Nil	M/s Shyam Dutt	Sand	36000
7	Lada	69/9/14	768 & 769/9.9.14	M/s Uppal Traders Bhunter	Water fitting mateniral	78520
8	Lada	74/9/14	Nil	M/s Hukum Ram	Stones	3800
9	Manerga	-/9/15	Nil	M/s Pratap Chand	Stones	20000
10	do	-/9/15	Nil	M/s Shyam Dutt	Stones	26000
11	do	-9/15	Nil	M/s Chet Ram	Stones	48800
					Total	₹394795

14 स्कूलों को वितरित डैस्क (Desk) की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें उपलब्ध न होनाः—

पंचायत द्वारा LADA के तहत प्राप्त अनुदान की राशि से, बिल संख्या 2716, दिनांक 30.9.15 द्वारा मै0 हिमाचल खादी मण्डल, कुल्लू से 215 डैस्क ₹484825/— में क्रय करेक स्कूलों को वितरित किए गए परन्तु स्कूलों को वितरित डैस्कों की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें

जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः डैस्कों की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें स्कूल प्रशासन से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण मे जाँच हेतु उपलब्ध करवाई जाए।

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 75 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः— ग्राम पंचायत मनीकर्ण के लेखों, रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 7/2016—खण्ड—1—959—962 दिनाँकः13.02.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत मनीकर्ण, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.